XIV-Form No. 563

4

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

आपूर्त्ति अपील वाद संख्या 08/2009

4.2.12

मदनेश्वर झा, पिता–स्व0 नागेश्वर झा, साकिन– बनैली, थाना– कसबा, जिला– पूर्णियाँ.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य

आ दे श

यह अपील वाद विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार नया अनुज्ञप्ति संख्या 24/2007 एवं पुराना अनुज्ञप्ति संख्या 11/90 में अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के विरूद्ध खंड II के अर्न्तगत दायर किया गया है। इसमें अपीलार्थी का कथन है कि विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ द्वारा माह जनवरी, 2009 में औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के क्रम में 46.20 क्वींटल चावल एवं 1 क्वींटल गेहूँ भंडार में उपलब्ध था। मेरे द्वारा गेहूँ का वितरण कर दिया गया था। लाभुकों द्वारा कूपन चावल वितरण हेतु छोड़ दिया गया था। माह सितम्बर 08 एवं अक्टूबर 08 का चावल दिनांक 07.01.2009 को विलम्ब से उठाव हुआ। पुत्री की बीमारी के कारण चावल का वितरण नहीं किया जा सका था। फलस्वरूप कूपन धारी द्वारा रखा गया था। अद्यतन मेरे उपर अन्य कोई आरोप आज तक न ही कूपनधारी (उपभोक्ता) द्वारा दिया गया है न हीं किन्ही उच्च पदाधिकारी द्वारा कोई आरोप गठित किया गया है। भंडार में उपलब्ध चावल बिलम्ब से आवंटन तथा उठाव तथा लड़की की बीमारी के फलस्वरूप ही भंडार में था। इसमें मेरा कोई गलत उदेश्य नहीं है। मैं नियमित रूप से खाद्यान्न एवं तेल का उठाव कर उपभोक्ताओं के बीच वितरण करता आ रहा हूँ इसलिए उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर पुनः अनुज्ञप्ति प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किए हैं।

दिनांक 15.11.2010 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि आवेदक के द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का उल्लंघन नहीं किया गया बल्कि कुछ प्रक्रियात्मक गलतियाँ हुई। पंजियों का संधारण नहीं करने के कारण अनुज्ञप्ति रद्द करना उचित नहीं है।

सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। जन वितरण प्रणाली के स्तर पर 824 कुपन जप्त किया गया, जो नियम के विरूद्ध है एवं अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा गलत मंशा से कार्य करने का द्योतक है। इसलिए अनियमितता के आधार पर विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पूर्णियाँ के द्वारा की गई कार्रवाई उचित है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पुनः दिनांक 04.02.2012 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई। सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ